रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 1977/अग्रहायण 10, 1899
No. 384] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 1977/AGRAHAYANA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st *December* 1977

G.S.R 726(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods such as foodstuff, medicines, consumable medical stores, clothing and blankets imported into India as free gift by an organisation or a voluntary agency, for free distribution to or for relief work for the poor and needy among the cyclone affected people of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, without any distinction of caste, creed or race, from—

(i) the whole of the duty of customs leviable thereon, under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),

(ii)) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act, and

(iii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act

Provided that the organisation or the voluntary agency—

(i) furnishes to the Assistant Collector of Customs a certificate from the Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India, that it has been permitted to receive foreign assistance for cyclone relief for the people of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh; and

(ii) satisfies the Assistant Collector of Customs that the goods are for free distribution to or for relief work for the poor and the needy among the cyclone effected people without any distinction of caste, creed or race and also shows to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs within six months from the date of importation or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow, that the goods have been used for such distribution or relief work.

[No 252/F No 460/234/77-Cus V]

A. K. SARKAR, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1977

सा०का० नि० 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, तमिल नाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यो मे तूफान से पीड़ित व्यक्तियो के लिए, मूलवंश, धार्मिक विश्वास या जाति के भेदभाव के बिना गरीब और जरूरतमन्द को मुफ्त वितरण के लिए अथवा उनके सहायता कार्य के लिए किसी संगठन या स्वेच्छया कार्य करने वाले अभिकरणो द्वारा मुफ्त भेट के रूप मे भारत मे निर्यात किए गए माल को, जैसे खाद्य सामग्री औषधि, उपयोज्य चिकित्सा सामग्री, कपड़े और कम्बलों को, निम्नलिखित शुल्कों से छूट देती है, अर्थात् —

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क ,

(ii) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा शुल्क , तथा

(iii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क

परन्तु यह तब जब ऐसा संगठन या स्वेच्छया कार्य करने वाला अभिकरण—

(i) सहायक सीमा शुल्क कलक्टर के समक्ष, भारत सरकार के कृषि और सिचाई मंत्रालय के कृषि विभाग का ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उसे तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के राज्यो मे लोगो की तूफान-सहायता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(ii) सहायक सीमा शुल्क कलक्टर का यह समाधान कर देता है कि ऐसा माल तूफान पीड़ित व्यक्तियो मे से गरीबो और जरूरतमन्दों मे मूलवंश, धार्मिक विश्वास या जाति के भेदभाव के बिना मुफ्त वितरण के लिए या सहायता के लिए है और, सहायक सीमा शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप से, ऐसे आयातकरण की तारीख से अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि से, जो सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा अनुज्ञात की जाए, छह मास के भीतर यह भी दर्शाता है कि माल का उपयोग ऐसा वितरण या सहायता करने के लिए किया गया है ।

[स० 252/फा० स० 460/234 77—सी० शु०-5]

ए० के० सरकार, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977